(331) (224)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

RS150-II/16

लालमणि तनय स्व0 गोविन्दप्रसाद तिवारी निवासी बडागांव टौगा तहसील गुढ जिला रीवा म0प्र0 — आवेदक

बनाम

श्री अरविन्द पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 21.3.16 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

1– शिवकुमार तनय नंन्द कुमार ब्रा0 निवासी बडागांव टौगा टोला तहसील गुढ जिला रीवा

2– म0प्र0 शासन — अनावेदकगण

अरविन्द पाण्डेय एड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील गुढ जिला रीवा दिनांक 25-1-16 प्रकरण क्रमांक 20/अ-3-14-15

मान्यवर

अन्य पुनरीक्षण के अतिरिक्त निम्न आधार प्रस्तुत है:-

1– अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25-1-16 एवं नक्शा तर्मीम संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही व प्रस्ताव सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

2–भूमि नंबर 2581 केखसरे में 5 उपखंड है जो कि प्रतिवेदन में वर्णित है लेकिन जो उसके साथ स्थल पंचनामा तैयार किया गया ह उस प्रतिवेदन में कुल 5 खड का विवरण नहीं है साथ ही जो नक्शा तर्मीम का विवरण दिया जाना वर्णित है ऐसाकोई प्रस्ताव नहीं तैयार किया गया केवल पंचनामा तैयार किया गया अपूर्ण है।

2– भूमि नंबर 2581/22 रकवा 0.265 ए था जिसका अंशभाग 0.125 हे0 अनावेदक नं01 दिनांक 22-8-13 को मूल भूमिस्वामी हनुमान प्रसाद से कृय कर लिया शेष रकवा जिसका उपखंड 2581/2/क/2 कायम हुआ तथा शेष रकवा 0.090हे0 आवेदक ने बाद में दिनांक 2-3-15 को कृय किया जिसका उपखड क्रमांक 2581/2/क कायम हुआ मौके की स्थिति का विन्दु है। विकृय पत्र चौहददी से उक्त स्थिति स्पष्ट होती लेकिन राजस्व सिरीक्षक व पटवारी ने उक्त विन्दु को नहीं देखा।

4–अनावेदक क्रमांक 1 ने भूमि नंबर 2581/2क के साथ कई नंबर की भूमि कृय किया जो भूमि कई स्थानों पर जिसकी एक हीजगह की गलत चौहददी लिखी गई है लेकिन आ0नं0 2581/2/क केशेष भाग 0.040 हे0 का प्रश्न है जो रकवा बचा है वह रकवा आवेदक ने कृय किया इस संबंध में विकृेता व साक्षियों का कथन लेकर निराकरण चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी विधिक प्रकृिया का पालन अनुशरण नहीं किया।

5– वास्तव में आवेदक ने भूमि नंबर 2581/2/क का रकवा 0.040हे0 अपने निजी पटटे की भूमि नंबर 2882 रकवा 0.53ए0 के बदल में कृय किया था जहां तक कब्जे का प्रश्न है

(224)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5150–दो / 2016 जिला–रीवा

लालमणि तिवारी / शिवकुमार ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 20 / अ–3 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	